

इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोक के संबंध में CBIC के दशा-नरिदेश

प्रलिस के लयः

केंद्रीय अपरत्यकष कर और सीमा शुलक बोरड, वस्तु एवं सेवा' कर, इनपुट टैक्स क्रेडिट

मेन्स के लयः

इनपुट टैक्स क्रेडिट संबधी प्रावधान

चरचा में क्यों?


हाल ही में 'केंद्रीय अपरत्यकष कर और सीमा शुलक बोरड' (CBIC) ने 'वस्तु एवं सेवा' कर के फीलड अधिकारियों द्वारा टैक्स क्रेडिट को अवरुद्ध कयि जाने संबधी दशा-नरिदेश जारी करते हुए कहा क इस तरह का अवरोध 'भौतिक साक्ष्य' के आधार पर होना चाहयि, न क केवल 'संदेह' के आधार पर ।

प्रमुख बदि

इनपुट टैक्स क्रेडिट:

- इसका अभपिराय ऐसे कर से है, जसिका भुगतान एक व्यवसाय द्वारा खरीद के समय कयि जाता है और जब वह बकिरी करता है तो वह अपनी कर देयता को कम करने के लयि इसका उपयोग कर सकता है ।
- इसका अरथ है क आउटपुट पर टैक्स का भुगतान करते समय इनपुट पर पहले से चुकाए गए टैक्स को कम कयि जा सकता है और शेष राशि का भुगतान कयि जा सकता है ।
- **अपवाद:** 'कंपोज़िशन स्कीम' के तहत शामिल व्यवसाय इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते हैं । व्यक्तगत उपयोग के लयि या छूट प्राप्त सामानों के लयि भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कयि जा सकता है ।
 - 'कंपोज़िशन स्कीम' वस्तु एवं सेवा कर के तहत एक योजना है, जसि जटलि औपचारकताओं से छुटकारा पाने के लयि चुना जा सकता है । इसे कोई भी करदाता चुन सकता है जसिका टर्नओवर 1.5 करोड रुपए से कम है ।

Understanding Input Credit



'इनपुट टैक्स क्रेडिट' का दावा करने संबधी प्रावधान:

- CGST (केंद्रीय जीएसटी) नयिम, 2017 के संशोधति नयिम 36 (4) में प्रावधान है क इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ तभी उठाया जा सकता

है जब माल आपूर्तकिरत्ता प्रत्येक बलि के माध्यम से आपूर्तिका वविरण ऑनलाइन अपडेट और अपलोड करता है ।

■ नए दशिया-नरिदेश:

- इसने कुछ वशिषिट परसिथितियों को नरिधारति कथिया जसिमें इस तरह के ITC को एक वरषिट कर अधकिारी द्वारा अवरुद्ध कथिया जा सकता है ।
- इनमें बनिा कसिी चालान या कसिी वैध दसतावेज़ के करेडिट प्रापुत करना या ऐसे चालान पर खरीदारों द्वारा करेडिट प्रापुत करना शामिल है, जसि पर वकिरेताओं द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं कथिया गया है ।
- आयुकुत या उनके द्वारा अधकृत कोई अधकिारी, जो सहायक आयुकुत के पद से नीचे का न हो, को मामले के सभी तथ्यों पर वचिार करते हुए अपने वविक के आधार पर ITC को अवरुद्ध करने संबधी नरिणय लेना चाहिये ।
 - सरकार ने दसिंबर 2019 में जीएसटी नयिमों में नयिम 86A पेश कथिया था, जसिसे करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक करेडिट लेज़र में उपलब्ध आईटीसी को ब्लॉक करने का प्रावधान कथिया गया था, यदयपि अधकिारी के पास मज़बूत कारण उपलब्ध थे कआईटीसी का धोखाधड़ी से लाभ उठाया गया था ।
- यह नरिणय 86A के उप-नयिम (1) के तहत शर्तों के अनुसार इनपुट टैक्स करेडिट के कपटपूरण लाभ के संबध में उपलब्ध या एकत्र कथि गए भौतिक साक्ष्य के आधार पर होना चाहिये ।
- इन दशिया-नरिदेशों ने टैक्स करेडिट को अवरुद्ध करने पर आयोगों, संयुकुत आयुकुतों और सहायक आयुकुतों के बीच शक्तियों के वभिजन के लयि मौद्रकि सीमा की सफिारशि की है ।
 - एक डपिटी या अससिस्टेंट कमशिनर 1 करोड़ रुपए तक, अतरिकित या ज्वाइंट कमशिनर 1 करोड़ रुपए से ऊपर लेकनि 5 करोड़ रुपए से कम और प्रसिपिल कमशिनर या कमशिनर 5 करोड़ रुपए से ऊपर ITC को ब्लॉक कर सकता है ।
- यदिकोई अधकिारी उचति प्रकरया के तहत आईटीसी को अवरुद्ध करता है, तो करदाता को जीएसटी पोर्टल पर कार्रवाई के साथ-साथ उस अधकिारी के वविरण के बारे में सूचति कथिया जाएगा जसिने इसे अवरुद्ध कथिया है ।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC):

- यह ववित्त मंत्रालय के तहत राजस्व वभिग का एक हसिसा है ।
- जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष 2018 में 'केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड' (CBEC) का नाम बदलकर CBIC कर दयिया गया था ।
- यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी (CGST) और एकीकृत जीएसटी (IGST) अधशिपति करने एवं संग्रह करने से संबधति नीर्ता तैयार करने के कार्य में संलग्न है ।
 - जीएसटी कानून में शामिल हैं- (i) केंद्रीय माल और सेवा कर अधनियिम, 2017 (ii) राज्य माल और सेवा कर अधनियिम, 2017 (iii) केंद्रशासति प्रदेश माल एवं सेवा कर अधनियिम, 2017 (iv) एकीकृत माल और सेवा कर अधनियिम, 2017 (v) माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवज़ा) अधनियिम, 2017 ।

स्रोत: द हट्टि